

866
14/6/2010

फा.सं. 27/01/2010-एस. आर. (एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक नायक भवन, खान मार्किट,
नई दिल्ली - 110003
दिनांक 11 जून, 2010

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल सरकार,
देहरादून ।


विषय:- दाम्पत्य नीति के अन्तर्गत श्रीमति आशा देवी (दिनकर), प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, भीमताल, नैनीताल के अभ्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहना का आदेश हुआ है कि राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 22 जनवरी, 2010 को आयोजित 75 वीं बैठक में विचारोपरान्त कमेटी ने श्रीमति आशा देवी (दिनकर), प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, भीमताल, नैनीताल के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की सिफारिश की है क्योंकि उनके द्वारा उल्लेखित तथ्य दिशानिर्देश के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

2. भारत सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश को मान लिया गया है । अतः श्रीमति आशा देवी का आवंटित राज्य उत्तराखण्ड ही है ।

3. कृपया संबंधित अधिकारी को इस निर्णय से अवगत करा दिया जाए ।



भवदीय
o/c
[Signature]
(वी० पेददन्ना)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रति:-

1. श्री आर.एम. श्रीवास्तव, प्रधान सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय विभाग, लखनऊ ।
2. श्री सुभाष कुमार, प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन समन्वय विभाग देहरादून ।